न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 86/2025

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सं. 02/2026 एवं 42/2025

राजस्थान सरकार जरिये श्री राहुल कुमार वेदवाल, प्रवर्तन निरीक्षक पीसांगन अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती राज रानी तंवर पत्नी राजेन्द्र कुमार तंवर हिसार रोड, गोपालपुरा, रोहतक जिला हरियाणा 124001
2. बहादुर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट उम्र करीब 30 साल निवासी ग्राम मकरेडा
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति रावत उम्र 23 साल निवासी ग्राम केसरपुरा जिला अजमेर
4. श्री बलवंत सिंह उर्फ बल्लू निवासी केसरपुरा जिला अजमेर पुलिस थाना मांगलियावास

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी (प्रार्थी)
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक (अप्रार्थी 1)
3. श्री खियासिंह रावत अभिभाषक (अप्रार्थी 2 से 3)
4. श्री राजेश भाटी अभिभाषक (अप्रार्थी सं. 4)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:आदेशः–

दिनांक 21.01.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 13.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील अजमेर के ग्राम केसरपुरा में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, मय प्रवर्तन स्टाफ जिसमें रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु पहुॅचे। मौके पर श्री सत्यवान सिंह उप निरीक्षक मय जाप्ता उपस्थित मिले। मौके पर चैक करने पर एक टैंकर नम्बर HR-46 E-5246 इण्डेन गैस से भरा हुआ जिसके टैंकर के बीच में तीन वाल्व लगे होकर एक नोजल पाईप, जिसके पांच रेगुलेटर होकर, पास में ही कमर्शियल गैस की कुल 27 टंकिया व एक घरेलू गैस सिलेण्डर (कुल 28) मिले व उसी के पास ही एक लोडिंग टेम्पू नम्बर RJ-14-GK-1812 में कुल 10 कामर्शियल गैस की टंकिया लोड हो रखी थी तथा टैंकर के दूसरी तरफ दो पिकअप गाडिया खडी थी, जिनमें एक गाडी बिना नंबर की थी। जिसके इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 है, जिसमें कॉमर्शियल गैस की कुल 78 टंकियां लोड हो रखी थी तथा दूसरी पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो बड़ी प्लास्टिक की टंकिया (जो कि एक दूसरे से पाईप के माध्यम से

जिला कलक्टर
अजमेर

इंटरकनेक्ट थी) लोहे के सांचे में सेट होकर पाइप के माध्यम से पिकअप की कैबिन के अंदर टोटेलाइजर मशीन (तेल मापने की मशीन) मय नोजल व पाईप के सेट किया हुआ होकर उस टंकियों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा कुल 116 गैस सिलेण्डर (115 सिलेण्डर 19 किग्रा वाणिज्यिक व 01 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा) एवं एक टैंकर HR 46 E 5246, 01 लोडिंग टेम्पू नम्बर VAN (Super Carry Turbo) RJ-14-GK-1812, पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो प्लास्टिक ड्रम 1100 लीटर जिनमें 400–400 लीटर कुल 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, बोलेरो **Maxx** पिकअप बिना नम्बर, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, 05 वाल्व वाला जुगाड को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी 1 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक व अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री राजेश भाटी अभिभाषक एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री खियासिंह रावत अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि दिनांक 13.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील अजमेर के ग्राम केसरपुरा में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, मय प्रवर्तन स्टाफ जिसमें रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु पहुँचे। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी मांगलियावास द्वारा प्रस्तुत तहरीर में दिनांक 12.12.2025 को जिला स्पेशल टीम से श्री सत्यवान उप निरीक्षक ने जरिए टेलिफोन बताया कि ग्राम केसरपुरा में जयपुर गोल्डन होटल के पास अवैध गैस रिफलिंग होने की संभावना है जिस पर अवैध कार्यवाही रोकथाम हेतु मय अपने जाप्ते के साथ आने हेतु अवगत कराया जिस पर थानाधिकारी मय जाप्ता थाने से रवाना होकर बताए हुए स्थान पर पहुँचा। मौके पर श्री सत्यवान सिंह उप निरीक्षक मय जाप्ता उपस्थित मिले। मौके पर चैक करने पर एक टैंकर नम्बर HR-46 E-5246 इण्डेन गैस से भरा हुआ जिसके टैंकर के बीच में तीन वाल्व लगे होकर एक नोजल पाईप, जिसके पांच रेगुलेटर होकर, पास में ही कमर्शियल गैस की कुल 27 टंकिया व एक घरेलू गैस सिलेण्डर (कुल 28) मिले व उसी के पास ही एक लोडिंग टेम्पू नम्बर RJ-14-GK-1812 में कुल 10 कामर्शियल गैस की टंकिया लोड हो रखी थी तथा टेंकर के दूसरी तरफ दो पिकअप गाडिया खडी थी, जिनमें एक गाडी बिना नंबर की थी। जिसके इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 है, जिसमें कॉमर्शियल गैस की कुल 78 टंकियां लोड हो रखी थी तथा दूसरी पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो बड़ी प्लास्टिक की टंकिया (जो कि एक दूसरे से पाईप

जिला कलक्टर
अजमेर

के माध्यम से इंटरकनेक्ट थी) लोहे के सांचे में सेट होकर पाइप के माध्यम से पिकअप की कैबिन के अंदर टोटेलाइजर मशीन (तेल मापने की मशीन) मय नोजल व पाईप के सेट किया हुआ होकर उस टंकियों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। टेंकर के पास में वजन करने का इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक लोहे की सिढढी व दो पाने व टैंकर के वॉल्व की प्लेट पड़ी थी। मौके पर दो व्यक्तियों को टेंकर में से गैस की चोरी करते हुए डिटेन किया जिनका नाम पूछने पर एक ने अपना नाम बहादुर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट उम्र करीब 30 साल, निवासी ग्राम मकरेडा व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति रावत, उम्र 23 साल निवासी ग्राम केसरपुरा जिला अजमेर का होना बताया गया। मौके पर पहुँचने पर प्रवर्तन टीम द्वारा स्थल पर खड़े लोडिग टैम्पों नम्बर RJ-14-GK-1812 में 10 कॉमर्शियल सिलेण्डर पाये गये, एक टैंकर नम्बर HR 46 E 5246 इण्डेन गैस जिसमें तीन वाल्व लगे होकर एक नोजल पाइप के साथ पांच रेगुलेटर पाये गये। इसके पास में ही कॉमर्शियल गैस की कुल 27 टंकियां व एक घरेलू टंकी पाई गई। टैंकर के दायी तरफ दो पिकअप मिली, जिसमें से एक बिना नंबर था जिसका इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 जिसमें कॉमर्शियल की कुल 78 टंकिया मिली। मौके पर दूसरी पिकअप नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो बडी प्लास्टिक की टंकिया लोहे के सांचे में सेट पाई गई, पिकअप के कैबिन के अंदर टोटेलाइजर मशीन मय नोजल व टंकियों में पाइप सेट किया होकर मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को डिटेन किया गया जिन बयान लिए कए जिसमें से एक बहादुर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट उम्र करीब 30 साल निवासी ग्राम मकरेडा व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति रावत उम्र 23 साल निवासी ग्राम केसरपुरा जिला अजमेर बताया जिसमें बहादुर ने स्वयं को ड्राईवर बताया व जितेन्द्र को अपना सहायक बताया। (फिर स्वयं ही बताया कि बलवंत उर्फ बल्लू राव निवासी केसरपुरा किया जाना) बयान में बहादुर ने दो पिकअप व लोडिंग टेम्पों किराया पर लिया जाना बताया साथ ही बताया कि डीजल 55/– रूपये में खरीदकर 70/– रूपये में दूसरे वाहनों को विक्रय करता है व खाली सिलेण्डर होटल पर रूकने वाले बडे गैस टेंकर वाले ड्राईवरों से 1000/– रूपये में 19 किग्रा वाला भरवाकर उसे आगे 1100/– रूपये में होटल वालो को सप्लाई करना बताया। पिकअप नं0 RJ-01-GA-9576 में उपस्थित प्लास्टिक की टंकियों की कुल क्षमता 1100 लीटर पाई गई, जिसकी माप करने पर 400–400 लीटर/डीजल/ पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर खुले स्थल पर दो पिकअप, जिसमें से एक बिना नम्बर की थी उसमें 78 कॉमर्शियल सिलेण्डर के साथ पाया जाना, दूसरे पिकअप में पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल का पाया जाना (टोटेलाइजर मशीन के साथ) लोडिग टेम्पों में 10 कॉमर्शियल सिलेण्डर का पाया जाना, जमीन पर रखे 27 कॉमर्शियल व 01 घरेलु सिलेण्डर का पाया जाना तथा एक इण्डेन गैस के टेंकर का नोजल सहित पाया जाना तथा बिना किसी वैध दस्तावेज व सुरक्षा मानकों के पाया

जिला. कलक्टर
अजमेर

गया। इसमें प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि यह अवैध गैस रिफिलिंग के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा था। उक्त कृत्य MS/HSD ruler, 2005 व LPG Order 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त स्थान पर पाये गये वाहन कुल 04, सिलेण्डर्स, नोजल, टोटेलाइजर, कांटा (इलेक्ट्रोनिक) पिकअप मय प्लास्टिक टंकिया (कुल 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, क्षमता 2200 लीटर) को कब्जेराज कर जब्त किया गया। इसके अन्तर्गत लोडिंग टेंम्पो संख्या RJ-14-GK-1812 एक बिना नम्बर की पिकअप जिसका इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 दूसरी पिकअप संख्या RJ-01-GA-9576 जिसमें दो प्लास्टिक ड्रम 1100 लीटर प्रत्येक जिनमें हाल मात्रा 400–400 लीटर कुल 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं इस पिकअप के केबिन में नोजल मशीन मय नोजल पाइप राजहित में कब्जेराज लिया गया तथा मौके पर पाये गये कुल 116 सिलेण्डर जिसमें 115 सिलेण्डर 19 किग्रा क्षमता वाले एवं 01 सिलेण्डर 14. 2 किग्रा क्षमता वाला घरेलू श्रेणी का है, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, 05 वाल्व वाला जुगाड़ पाईप, दिलीप सिंह परोदा, प्रोपराइटर मैसर्स भास्कर इण्डेन गैस एजेन्सी आईओसीएल सराधना को सुपुर्दगी में दिए गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य Ms/HSD ruler,2005 व LPG Order 2000 EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। सबंधित के विरूद्ध थाना मांगलियावास में ई.सी.एक्ट 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर नं. 0229 दिनांक 13.12.2025 को दर्ज करा दी गई है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा कुल 116 गैस सिलेण्डर (115 सिलेण्डर 19 किग्रा वाणिज्यिक व 01 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा) एवं एक टैंकर HR 46 E 5246, 01 लोडिंग टेम्पू नम्बर VAN (Super Carry Turbo) RJ-14-GK-1812, पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो प्लास्टिक ड्रम 1100 लीटर जिनमें 400–400 लीटर कुल 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, बोलेरो Maxx पिकअप बिना नम्बर, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, 05 वाल्व वाला जुगाड को राजसात करने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रकरण जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जब्तशुदा टेंकर से किसी प्रकार की गैस चोरी नहीं हुई है। लोडिंग के समय टैंकर में जितना वजन था, उतना ही वजन जब्तशुदा टेंकर में आज भी विद्यमान है। मात्र आशंका के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी पीसांगन द्वारा परिवाद अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व दर्ज प्रकरण को निरस्त फरमाया जाकर जब्तशुदा टैंकर संख्या HR 46 E 5246 को सुपुर्दगीनामें पर दिये जाने के आदेश प्रदान करे।

जिला कलक्टर
अजमेर

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2, 3 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की प्रकरण जिला रसद अधिकारी अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्व 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गैस चोरी करते हुए नहीं पकडा गया, मात्र शंका आशंका के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया जो खारिज योग्य है। प्रकरण में जो जब्तशुदा टेंकर है जिसमें गैस भरी हुई है उसके वजन में कोई कमी नहीं हुई है इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त टेंकर से किसी भी प्रकार की कोई रिफलिंग नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी ने झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी 4 को मौके पर किसी भी प्रकार की कोई गैस चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया, मात्र शंका आशंका के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा गाडियों से अप्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक ने मात्र अप्रार्थी संख्या 2 बहादुर सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 3 जितेन्द्र सिंह के बयानो के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 4 का नाम लिखा है जब कि अप्रार्थी संख्या 4 का उक्त प्रकरण से किसी भी प्रकार से सरोकार नहीं है। घटना स्थल पर जो मौके पर होटल है तथा होटल में जो पार्किग है उक्त पार्किग बहादुर सिंह को किराये पर दे रखी है अप्रार्थी संख्या 4 बलवंत सिंह का होटल व बहादुर सिंह से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अतः प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमावे।

प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री सोहन सिंह जाति रावत निवासी दांता आखरी पोस्ट गेगल जिला अजमेर ने वाहन पिकअप नम्बर RJ-01-GA-9576 को सुपुदर्गीनामा पर सुपुर्द करने एवं प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मांगी राम, निवासी 49/19 फर्स्ट फ्लोर लक्ष्मी विलास राजाजी स्ट्रीट माधवारम चैन्नई ने वाहन नंबर TN-18-BM-1890 जिसका इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 है, को सुपुदर्गीनामा पर लोटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच दिनांक 13.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील अजमेर के ग्राम केसरपुरा में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, मय प्रवर्तन स्टाफ जिसमें रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु पहुॅचे। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी मांगलियावास द्वारा प्रस्तुत तहरीर में दिनांक 12.12.2025 को जिला

स्पेशल टीम से श्री सत्यवान उप निरीक्षक ने जरिए टेलिफोन बताया कि ग्राम केसरपुरा में जयपुर गोल्डन होटल के पास अवैध गैस रिफलिंग होने की संभावना है जिस पर अवैध कार्यवाही रोकथाम हेतु मय अपने जाप्ते के साथ आने हेतु अवगत कराया जिस पर थनाधिकारी मय जाप्ता थाने से रवाना होकर बताए हुए स्थान पर पहुँचे। मौके पर चैक करने पर एक टैंकर नम्बर HR-46 E-5246 इण्डेन गैस से भरा हुआ जिसके टैंकर के बीच में तीन वाल्व लगे होकर एक नोजल पाईप, जिसके पांच रेगुलेटर होकर, पास में ही कमर्शियल गैस की कुल 27 टंकिया व एक घरेलू गैस सिलेण्डर (कुल 28) मिले व उसी के पास ही एक लोडिंग टेम्पू नम्बर RJ-14-GK-1812 में कुल 10 कामर्शियल गैस की टंकिया लोड हो रखी थी तथा टेंकर के दूसरी तरफ दो पिकअप गाडिया खडी थी, जिनमें एक गाडी बिना नंबर की थी। जिसके इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 है, जिसमें कॉमर्शियल गैस की कुल 78 टंकियां लोड हो रखी थी तथा दूसरी पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो बड़ी प्लास्टिक की टंकिया (जो कि एक दूसरे से पाईप के माध्यम से इंटरकनेक्ट थी) लोहे के सांचे में सेट होकर पाइप के माध्यम से पिकअप की कैबिन के अंदर टोटेलाइजर मशीन (तेल मापने की मशीन) मय नोजल व पाईप के सेट किया हुआ होकर उस टंकियों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। टेंकर के पास में वजन करने का इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक लोहे की सिढढी व दो पाने व टैंकर के वॉल्व की प्लेट पड़ी थी। मौके पर पहुँचने पर प्रवर्तन टीम द्वारा स्थल पर खड़े लोडिग टैम्पों नम्बर RJ-14-GK-1812 में 10 कॉमर्शियल सिलेण्डर पाये गये, एक टैंकर नम्बर HR 46 E 5246 इण्डेन गैस जिसमें तीन वाल्व लगे होकर एक नोजल पाइप के साथ पांच रेगुलेटर पाये गये। इसके पास में ही कॉमर्शियल गैस की कुल 27 टंकियां व एक घरेलू टंकी पाई गई। टैंकर के दायी तरफ दो पिकअप मिली, जिसमें से एक बिना नंबर था जिसका इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 जिसमें कॉमर्शियल की कुल 78 टंकिया मिली। मौके पर दूसरी पिकअप नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो बडी प्लास्टिक की टंकिया लोहे के सांचे में सेट पाई गई, पिकअप के कैबिन के अंदर टोटेलाइजर मशीन मय नोजल व टंकियों में पाइप सेट किया होकर मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर बयान में बहादुर ने दो पिकअप व लोडिंग टेम्पों किराया पर लिया जाना बताया साथ ही बताया कि डीजल 55/- रूपये में खरीदकर 70/- रूपये में दूसरे वाहनों को विक्रय करता है व खाली सिलेण्डर होटल पर रूकने वाले बडे गैस टेंकर वाले ड्राईवरों से 1000/- रूपये में 19 किग्रा वाला भरवाकर उसे आगे 1100/- रूपये में होटल वालो को सप्लाई करना बताया। पिकअप नं0 RJ-01-GA-9576 में उपस्थित प्लास्टिक की टंकियों की कुल क्षमता 1100 लीटर पाई गई, जिसकी माप करने पर 400-400 लीटर/डीजल/ पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर खुले स्थल पर दो पिकअप, जिसमें से एक बिना नम्बर की थी उसमें 78 कॉमर्शियल सिलेण्डर के साथ पाया जाना, दूसरे पिकअप में पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल का पाया जाना (टोटेलाइजर मशीन के साथ) लोडिग टेम्पों में 10 कॉमर्शियल सिलेण्डर का पाया जाना, जमीन पर रखे 27 कॉमर्शियल व 01 घरेलु सिलेण्डर का पाया जाना तथा एक इण्डेन गैस के टेंकर का नोजल सहित पाया जाना तथा बिना किसी वैध दस्तावेज व सुरक्षा मानकों के पाया

जिला कलक्टर
अजमेर

गया। इसमे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि यह अवैध गैस रिफिलिंग के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य Ms/HSD ruler,2005 व LPG Order 2000 EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा कुल 116 गैस सिलेण्डर (115 सिलेण्डर 19 किग्रा वाणिज्यिक व 01 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा) एवं एक टैंकर HR 46 E 5246, में भरी गैस, पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो प्लास्टिक ड्रम 1100 लीटर जिनमें 400–400 लीटर कुल 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, 05 वाल्व वाला जुगाड को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता हैं। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि वाहन टेंकर रजिस्टेशन नम्बर HR-46-E-5246 एवं लोडिंग टेम्पों नम्बर VAN (super Carry Turbo) RJ-14-GK-1812, एक पिकअप TN-18-BM-1890 जिसका इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 एवं दूसरी पिकअप नम्बर RJ-01-GA-9576 उपयोग गैस की अवैध गतिविधि में पाया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि अप्रार्थीगण ने इन वाहनो को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा अवैध गैस रिफलिंग एवं इसमें लिप्त पाये जाने से जब्तशुदा टेंकर रजिस्टेशन नम्बर HR-46-E-5246 पर 1,00,000 (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) एवं एक पिकअप TN-18-BM-1890 जिसका इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 पर 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) एवं पिकअप नम्बर RJ-01-GA-9576 पर 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जब्तशुदा लोडिंग टेम्पों नम्बर VAN (super Carry Turbo) RJ-14-GK-1812 के सन्दर्भ में हाजा न्यायालय में सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर उक्त वाहन पर 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की शास्ति राशि आरोपित की जाती हैं। इस आदेश की दिनांक से 03 माह के भीतर यदि स्वामी वाहन सं. RJ-14-GK-1812 आरोपित शास्ति राशि जमा नहीं कराता है तो वाहन का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावें। उक्त पर जब्तशुदा सामग्री जब्तशुदा कुल 116 गैस सिलेण्डर (115 सिलेण्डर 19 किग्रा वाणिज्यिक व 01 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा) एवं एक टैंकर HR 46 E 5246, में भरी गैस, पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-01-GA-9576 जिसमें दो प्लास्टिक ड्रम 1100 लीटर जिनमें 400–400 लीटर कुल 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, 05 वाल्व वाला जुगाड का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित ऑयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें और निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्तशुदा टेंकर रजिस्टेशन नम्बर HR-46-E-5246 एवं पिकअप TN-18-BM-1890 जिसका इंजन नम्बर TTP4E93770 व चैचिस नम्बर MA-1RE-2TTKP6F31690 एवं पिकअप नम्बर RJ-01-GA-9576 एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

लोडिंग टेम्पों नम्बर VAN (super Carry Turbo) RJ-14-GK-1812 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद मालिकाना हक (स्वामित्व), दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण, मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेश से किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 42/2025, प्रार्थी श्री राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026 द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर छोडे जाने बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। दोनो प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगीनामा) फैसल शुमार हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.01.2026 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
* अजमेर *